रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24 2013/माघ 4, 1934
No. 40] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2013/MAGHA 4, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 45(अ).—गम कराया श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2012 के प्रारुप को कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 604 (अ), तारीख 1 अगस्त, 2012 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन के भीतर, आक्षेप और सुझाव मांगें गए थे;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां 6 अगस्त, 2012 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गम कराया श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम,1982 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गम कराया श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2013 है ।

(2) स्टरकूलियासी परिवार के स्टरकूलिया यूरेन्स रॉक्सबर्ग पौधे के रस से ढेलों अथवा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त गम कराया पर लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अनुसार गम कराया के श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने का प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न से गम कराया के श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने का प्राधिकार देता है;

(घ) "साधारण श्रेणीकरण और चिह्नाकंन नियम" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं;

(ङ) "श्रेणी अभिधान चिह्न" से नियम 3 में निर्दिष्ट "एगमार्क प्रतीक" अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937(1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और उक्त नियमों में है ।

3. श्रेणी अभिधान चिह्न- श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्या, "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में यथारूप से दिये गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना "एगमार्क प्रतीक" होगा ।

4. श्रेणी अभिधान और क्वालिटी –गम कराया के श्रेणी अभिधान तथा क्वालिटी अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

5. पैकिंग की पद्धति – (1) गम कराया को जूट से बने साफ और शुष्क आधानों या कपड़े के थैलों या खाद्य सामग्री के आंतरिक लाइनिंग वाले पॉलीवोवन थैलों या कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य खाद्य श्रेणी की पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा ।

(2) पैकिंग सामग्री कीट और फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और उत्पाद में किसी विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या सुवास प्रदान नहीं करेगी ।

(3) गम कराया को विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तु) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार या कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार पैक आकारों में पैक किया जाएगा ।

(4) समान लॉट या बैच और श्रेणी के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके पूरे ब्यौरे सहित मास्टर आधान में पैक किया जा सकेगा ।

(5) प्रत्येक पैक में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का गम कराया होगा ।

(6) प्रत्येक पैकेज उचित रुप से और सुरक्षित रुप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा ताकि उसके बिखराव को रोका जा सके ।

6. चिह्नांकन की पद्धति –(1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक पैकेज पर सुरक्षित रुप से लगाया जाएगा या मुद्रित होगा ।

(2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्ट और सुपाठ्य रुप में चिह्नांकित होंगी, अर्थात : -

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म या व्यापार नाम (वैकल्पिक);

(घ) लॉट संख्या;

(ड.) पैकिंग की तारीख;

(च) पैकिंग के स्थान का पता ;

(छ) शुद्ध भार;

(ज) पैकर का नाम और पता;

(झ) अधिकतम खुदरा कीमत (सभी करों सहित);

(ञ) .... मास .... वर्ष तक उत्कृष्ट;

(ट) कोई अन्य विशिष्टियां जो विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सके या कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा जारी किए अनुदेश ।

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से गम कराया संदूषित नहीं होगा ।

(4) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड लगा सकेगा परन्तु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो ।

7. प्राधिकरण प्रमाण-पत्र की विशेष शर्तें :-(1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, अन्य सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।

(2) गम कराया की क्वालिटी का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर विनिर्दिष्ट सन्नियमों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी या संगम प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा जो साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अर्हित रसायनज्ञ द्वारा प्रबंध की जा रही हो ।

(3) परिसरों को स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की दशाओं में उचित संवातन तथा अच्छी प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।

(4) परिसरों में समुचित फर्श व्यवस्था सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृन्तक और कीटों के संदूषण से मुक्त होंगे ।

(5) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे जो कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं ।

अनुसूची-1

(नियम 3 देखिए)

(एगमार्क चिह्न का डिज़ाइन)

वस्तु का नाम ....

श्रेणी ....

378 GI/13-2

अनुसूची-2
(नियम 4 देखिए)

गम कराया की श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

1. गम कराया स्टरकूलियासी परिवार के स्टरकूलिया यूरेन्स रॉक्सबर्ग पौधे के रस से अभिप्रास किया जाएगा ।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं: - (1) गम कराया निम्नानुसार होगा –
   (क) सूखे हुए;
   (ख) कीट अंश और फंफूद लगने से मुक्त;
   (ग) मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त;
   (घ) कृंतक बाल और मल से मुक्त;
   (ङ) पशु मैल, धूल और गर्द से मुक्त ।

(2) घरेलू व्यापार हेतु यह धातु संदूषण , कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रुप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(3) निर्यात के लिए यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

3. श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

अभिधान	कार्बनिक बाह्य पदार्थ [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	सुखाने पर क्षति [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (अधिकतम)	कुल भस्म [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	अम्ल में अघुलनशील भस्म [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	अम्ल में अघुलनशील पदार्थ [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	एसीटिक अम्ल के रूप में वाष्पशील अम्ल [प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार] (शुष्क आधार पर) (न्यूनतम)	फूलने का गुण मिली ली. (न्यूनतम)	जल अवशोषण मिली ली. (न्यूनतम)	स्टार्च परीक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
विशेष	0.3	16.0	6.0	0.75	2.0	11.0	210.0	80.0	नकारात्मक
मानक	0.4	16.0	7.0	0.85	2.5	10.5	205.0	78.0	नकारात्मक
सामान्य	0.5	16.0	8.0	1.00	3.0	10.0	200.0	75.0	नकारात्मक

4. अन्य अपेक्षाएं:

1. पहचान - (i) पानी में फूलना:- पदार्थ में ग्रैनूलर रूप में फूलने, कड़ा, आंशिक रूप से दुधिया पत्थर की तरह वाली जैल की क्वालिटी होगी, जो लिटमस से अम्लीय हो।

(ii) एथनोल घोल से फूलना:- गम कराया में 60% एथनोल में फूलने की क्वालिटी होगी, जो अन्य गम से भिन्न होगी ।

(iii) रंग अभिक्रिया: (क) 1 ग्राम नमूने को 20 मि.ली. जल तथा 5 मि.ली. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाकर मिश्रण को 5 मिनट तक उबालने और श्लेष्मा (म्यूसिलेज) के निर्मित होने तक गरम किया जाएगा तब एक स्थायी लाल और गुलाबी रंग विकसित होगा;

(ख) 5 ग्राम गम कराया को 2 मि.ली. 5 एम. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाकर गर्म करने पर भूरा रंग उत्पन्न होता है ।

(iv) अवक्षेपण विरचना: 1 ग्राम गम कराया को 80 मि.ली. जल के साथ चौबीस घंटे तक मिलाकर रखने और 4 मि.ली. परिणामी श्लेष्मा को 0.5 मि.ली. सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और 1 मि.ली. 5 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालने तथा 3 मि.ली. पोटेशियम क्यूप्रीटारट्रेट घोल मिलाकर फिल्टर किए जाने और गर्म किए जाने पर एक लाल अवक्षेप बनता है ।

2. क्लोराइड और सल्फेट से मुक्त होंगे ।
3. गम कराया की स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे निम्नलिखित के लिए समर्थ हो:-
   - परिवहन और उठाई-धराई को सहन करने के लिए; और
   - गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति पर पहुंचने के लिए ।
4. गम कराया को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक स्थिति में ठंडे और शुष्क स्थान में भंडारित किया जाएगा ।

[फा. सं.-18011/1/2012-एम-II]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-Operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2013

G.S.R. 45(E).— Whereas the draft of the Gum Karaya Grading and Marking Rules, 2012, was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.604(E), dated the 1st August, 2012, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 6th August, 2012;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in supersession of the Gum Karaya Grading and Marking Rules,1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Rules

1. Short title, application and commencement. - (1) These rules may be called the Gum Karaya Grading and Marking Rules, 2013.
(2) They shall apply to Gum Karaya in lumps or crystal form obtained from the exudes of plant *Sterculia urens* Roxburgh of the family *Sterculiaceae.*
(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2(1) Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.
(b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Gum Karaya in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Gum Karaya with the grade designation mark;
(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
(e) "grade designation mark" means the "Agmark Insignia" referred to in rule 3.
(f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules, 1988 shall have the same meanings as are assigned to them under that Act and the said rules.

3. Grade designation mark.- The grade designation mark shall consist of "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the number of certificate of authorisation, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

4. Grade designation and quality. - The Grade designations and the quality of Gum Karaya shall be as set out in Schedule II.

5. Method of packing. - (1) Gum Karaya shall be packed in clean and dry containers made of jute or cloth bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or any other type of food grade packing material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him in this behalf.

(2) The packing material shall be free from insect and fungal infestation and shall not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.

(3) Gum Karaya shall be packed in pack sizes as per provisions in the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 or as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Gum Karaya of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

6. Method of Marking.- (1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, 1988.

(2) In addition to the grade designation mark, the following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

(a) Name of the commodity;
(b) Grade;
(c) Variety or trade name (optional);
(d) Lot number;
(e) Date of packing;
(f) Address of the place of packing;
(g) Net weight;
(h)) Name and address of the packer;
(i) Maximum retail price (inclusive of all taxes);
(j) BEST BEFORE__________MONTH______YEAR;
(k) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or any officer authorised by him.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Gum Karaya.

(4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

7. Special conditions of certificate of authorisation. - (1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall follow all other instructions specified by Agricultural marketing Adviser from time to time;

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per the specified norms or have access to an approved State Grading Laboratory or cooperative or association laboratory or a private commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 9 of the General Grading and Marking Rules for testing the quality of Gum Karaya.

(3) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be of sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises shall have adequate storage facilities with proper flooring and free from rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall comply with all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised by him in this behalf from time to time.

SCHEDULE-I

(See rule 3)
(Design of Agmark insignia)

Name of the commodity..

Grade..

SCHEDULE –II
(See rules 4)

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF GUM KARAYA

1. Gum Karaya shall be obtained from the exudes of the plant *Sterculia urens* Roxburgh of the family *Sterculiaceae.*

2. Minimum Requirements.- (1) Gum Karaya shall be -

   (a) dried ;
   (b) free from insect infestation and fungus attack;
   (c) free from added colouring matter;
   (d) free from rodent hair and excreta;
   (e) free from animal filth, dust and dirt.

(2) It shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011 and the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, and other regulations notified under the Food Safety and Standards Act,2006, for domestic trade.

(3) It shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirement for exports.

3. CRITERIA FOR GRADE DESIGNATION

Designation	Organic Extraneous matter, [per cent by mass] (on dry basis) (max.)	Loss on drying (per cent by mass) (max.)	Total Ash [per cent by mass] (on dry basis) (max.)	Acid Insoluble Ash [per cent by mass] (on dry basis) (max.)	Acid insoluble matter [per cent by mass] (on dry basis) (max.)	Volatile Acid as Acetic Acid [per cent by mass] (on dry basis) (min.)	Swelling property, ml. (min.)	Water absorption in ml. (min.)	Starch test
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Special	0.3	16.0	6.0	0.75	2.0	11.0	210.0	80.0	Negative
Standard	0.4	16.0	7.0	0.85	2.5	10.5	205.0	78.0	Negative
General	0.5	16.0	8.0	1.00	3.0	10.0	200.0	75.0	Negative

4. Other requirements:

1. Identification. - (i) Swelling with water. - The material shall have the quality of swelling to form a granular, stiff, slightly opalescent gel which is acidic to litmus.

(ii) Swelling by ethanol solution. - Gum Karaya shall have the quality of swelling in 60% ethanol distinguishing it from other gums.

(iii) Colour reaction. - (a) shall develop a permanent red or pink colour when boiled 1 gm of the sample with 20 ml of water until a mucilage is formed by adding 5 ml of hydrochloric acid and boil the mixture for five minutes.

(b) a brown colour is produced on warming 5 gram of Gum Karaya with 2 ml. of 5M sodium hydroxide.

(iv) Precipitate formation. – A red precipitate is formed when 1 gm Gum Karaya is mixed with 80 ml of water for twenty four hours and when boiled 4 ml of resulting mucilage with 0.5 ml of concentrated hydrochloric acid and 1 ml of 5M Sodium hydroxide and filter by adding 3 ml of potassium cupritartrate solution and heated.

2. Shall be free from Chlorides and Sulphates.

3. The condition of the Gum Karaya shall be such so as to enable it.-

- to withstand transport and handling; and
- to arrive in satisfactory condition at the place of destination.

4. Gum Karaya shall be stored in cool and dry place; maintained in a clean and hygienic condition.

[F. No. 18011/1/2012-M.II]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy. (Marketing)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.